# इकाई 26 कृषि माल का विदेश व्यापार

**संरचना**


26.0 उद्देश्य

26.1 प्रस्तावना

26.2 कृषि वस्तुओं के व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक और उनके निहितार्थ
- 26.2.1 आर्थिक कारक
- 26.2.2 नीति संबंधी कारक
- 26.2.3 संस्थागत कारक

26.3 भारत का कृषि व्यापार
- 26.3.1 निर्यात में प्रवृत्तियाँ
- 26.3.2 आयात में प्रवृत्तियाँ

26.4 व्यापार नीति
- 26.4.1 परिमाणात्मक प्रतिबंध और सीमा शुल्क
- 26.4.2 व्यापार करार
- 26.4.3 नई विदेश व्यापार नीति (2009-14) और कृषि निर्यात
- 26.4.4 प्रतिकूल प्रभाव

26.5 सारांश

26.6 शब्दावली

26.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

26.8 बोध प्रश्नों के उत्तर/संकेत


## 26.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के बाद आप :

- कृषि वस्तुओं के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा कर सकेंगे;
- भारत के कृषि निर्यात/आयात में प्रवृत्तियों का विश्लेषण कर सकेंगे;
- कृषि निर्यात/आयात के लिए वर्गीकरण ढांचे को भारत व्यापार वर्गीकरण (ITC) सुसंगत प्रणाली (HS) की व्यवस्था के अनुसार विनिर्दिष्ट कर सकेंगे;
- ''परिमाण प्रतिबंधों'' की व्यापार नीति प्रपत्रों और उनकी सापेक्ष दक्षता की तुलना में उनके आर्थिक निहितार्थों के बीच विभेद कर सकेंगे;
- भारत द्वारा हस्ताक्षरित प्रमुख कृषि व्यापार करारों का उल्लेख कर सकेंगे; और
- हमारे कृषि निर्यात को तेज करने के लिए प्रारंभ किए गए उपायों के महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए नई व्यापार नीति (2009-14) के तत्व बता सकेंगे।

## 26.1 प्रस्तावना

इस पाठ्यक्रम की पिछली इकाइयों में आपने भारत के निर्यात में कृषि के महत्त्व के बारे में अध्ययन किया है। उदाहरण के लिए, इकाई 7 (उपभाग 7.4.3) में आपने पढ़ा है कि कृषि से निर्यात अर्जन हमारे कुल निर्यात अर्जन के 50 प्रतिशत से अधिक था परंतु हाल के वर्षों में नीचे आ गया है। यह ह्रास आर्थिक वृद्धि और अर्थव्यवस्था के विविधीकरण के कारण कृषि माल के आयात-निर्यात की कुल मात्रा में बढ़ती हुई प्रवृत्तियों के बावजूद रहा। इसके अलावा, इकाई 20 (उपभाग 20.2.7) में हमने देखा कि कृषि उत्पादों के लिए विश्व बाजार घरेलू बाजारों से भिन्न मंच है क्योंकि घरेलू उत्पादकों को अन्य विकसित बाजारों/देशों में उपभोक्ताओं द्वारा अपेक्षित उच्चतर गुणवत्ता के अनुरूप होना आवश्यक हो जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए यद्यपि हमारे कृषि निर्यात को बढ़ाने के लिए उपाय अपनाना महत्त्वपूर्ण है परंतु उन रणनीतियों पर फोकस करना भी समान रूप से उतना महत्त्वपूर्ण है जो हमारे कृषि सेक्टर की सीमाओं और संभावनाओं के अनुरूप हैं। इस पृष्ठभूमि से हमने वर्तमान इकाई का उन कारकों पर सामान्य विचार करते हुए प्रारंभ किया है जो कृषि में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के वातावरण को नियंत्रित करते हैं। इसे करने में, हम अपने आपको उन दशाओं से परिचित करेंगे जो कृषि उत्पादों की मांग और मूल्य पर प्रभाव डालते हुए कृषि माल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करते हैं। इसके बाद कृषि उत्पादों के हमारे निर्यात और आयात में आम प्रवृत्तियां का अध्ययन किया गया है। तद्नन्तर हम कृषि निर्यात के लिए अपनी नई विदेश व्यापार नीति के अधीन (जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि निर्यात का भाग बढ़ाना है) कृषि उत्पादों के अपने निर्यात का पुनर्भिन्यास करने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित प्राथमिकताओं का अध्ययन करेंगे।

## 26.2 कृषि वस्तुओं के व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक और उनके निहितार्थ

उन कारकों को समझने के लिए जो दो राष्ट्रों के बीच व्यापार प्रभावित करते है, पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि देश व्यापार **क्यों** करते हैं? देश कई कारणों से व्यापार में लगे हुए हैं : **एक,** देश में विशेष संसाधन या कच्चे माल (जैसे तेल) की कमी हो सकती है जिसे यह उन देशों से आयात द्वारा पूरा करने का प्रयास करता है, जो उस संसाधन में समृद्ध है, ताकि उस माल या सेवाओं का उत्पादन सुकर हो सके जिनमें यह संसाधन प्रयोग होता है। **दूसरा,** यह मूल्यवर्धित उत्पादों, जैसे संसाधित खाद्य पदार्थ या मशीनरी, उपकरणों और औद्योगिक उत्पादों और प्रौद्योगिकी उत्पादों (जैसे कार, निर्माण उपकरण और सॉफ्टवेयर) का उत्पादन करने के लिए देश में पूँजी और अपेक्षित प्रौद्योगिकी का अभाव हो सकता है। जिन देशों में श्रम प्रचुर मात्रा में है, उनमें श्रम प्रधान उत्पादों, जैसे वस्त्र और उपभोक्ता माल का उत्पादन करने की प्रवृत्ति होती है जिन्हें उन देशों द्वारा आयात किया जाता है जहां श्रमिकों की कमी है और जहां श्रमिक लागत बहुत अधिक है। इसी प्रकार, जिन देशों में प्रचुर भूमि होती है, वहां भूमि प्रधान पण्यवस्तुओं, जैसे कृषि उत्पादों का उत्पादन करने की प्रवृत्ति होती है। संक्षेप में, देशों में उन पण्यवस्तुओं का उत्पादन करने की प्रवृत्ति होती है जिनमें उन्हें सापेक्ष लाभ होता है और वे अन्य पण्यवस्तुएँ व्यापार द्वारा प्राप्त करते हैं।

इसलिए (i) प्राकृतिक संसाधनों में विविधता, (ii) उपभोक्ताओं की रुचियों और प्राथमिकताओं में अंतर, और (iii) उत्पादन की लागतों में अंतर प्रमुख कारक हैं जो राष्ट्रों के बीच व्यापार को संचालित करते हैं। ये कारक जो व्यापार को प्रभावित करते हैं, इसलिए मोटे तौर पर इस प्रकार वर्गीकृत किये जा सकते है : (i) आर्थिक, (ii) नीति संबंधी और (iii) संस्थागत कारक। ये कारक साथ मिलकर देश के प्रतियोगित्व का निर्धारण करते हैं (जो उसके व्यापार को प्रभावित करता है)। इसके अलावा, चूंकि ये कारक गतिशील होते हैं और समय के चलते बदलते हैं, इसलिए वे परिणामतः व्यापारिक पण्यवस्तुओं की किस्मों और आयात के स्रोतों तथा निर्यात के गंतव्य स्थानों में परिवर्तन करते हैं।

भूमंडलीकरण की नीतियों से संसाधित और अधिक मूल्य के कृषि खाद्य उत्पादों में तेज वृद्धि हुई है। प्रतिस्वरूप बहुत से देशों में खुदरा सुपर बाजारों का क्रांतिकारी विस्तार हुआ है। यद्यपि इसे आधुनिक युग में भूमंडलीकरण की ''दूसरी लहर'' के रूप में वर्णित किया गया है, परंतु इसने निम्नलिखित समस्याएं भी दी हैं : (i) पर्यावरण ह्रास (जैसे वायु, जल, जैव विविधता आदि), (ii) उपभोक्ता (पशु सहित) कल्याण, और (iii) जलवायु परिवर्तन, आदि। इन समस्याओं ने जैव ईंधन के लिए कृषि फसलों का प्रयोग करने की गुंजाइश के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय एजेण्डा पर कृषि व्यापार के मुद्दे को ऊँचे स्तर पर पहुँचा दिया है। इस परिदृश्य में, कृषि में अंतर्राष्ट्रीय (या विदेश व्यापार) को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों की पहचान मोटे तौर पर निम्न प्रकार की है :

### 26.2.1 आर्थिक कारक

देश के सकल घरेलू उत्पाद, अर्थव्यवस्था में कीमतों का स्तर, पण्यवस्तुओं की मांग, पण्यवस्तुओं के उत्पादन की लागत और विनिमय दर उत्पादन के स्तर वे प्रमुख आर्थिक कारक हैं जो राष्ट्रों के बीच व्यापार को प्रभावित करते हैं।

**सकल घरेलू उत्पाद :** देश का सकल घरेलू उत्पाद (GDP) देश में आर्थिक कार्यकलापों का स्तर (अर्थात् देश में उत्पादित किया जा रहा कुल माल और सेवाएं) और सेवाओं को प्रतिबिंबित करता है। यह उपभोग स्तर को भी प्रभावित करता है और इस प्रकार पण्यवस्तुओं की मांग को भी। यह देश में औद्योगिकीकरण की सीमा और आधारभूत संरचना के विकास के स्तर का सूचक भी है। इसलिए उच्च GDP देश में आय और उत्पादन के उच्च स्तरों का संकेत देता है। जैसे-जैसे GDP बढ़ता है, वैसे-वैसे आयात भी बढ़ सकता है, क्योंकि (क) विदेशी उपभोक्ता माल की मांग बढ़ती है, और (ख) विदेशी आदान देश में उत्पादित माल के भाग हो सकते हैं। प्रतिस्वरूप यह निर्यात को प्रभावित करता है। अतः व्यापार द्वारा GDP प्रभावित होता है क्योंकि निवल निर्यात देश के GDP का एक घटक है।

(GDP = उपभोग + निवेश + सरकारी व्यय + निवल निर्यात)

**मांग, आपूर्ति और कीमतें :** कृषि पण्यवस्तुओं के लिए मांग उपभोक्ताओं की रुचि और वरीयताओं द्वारा प्रभावित होती है। कृषि पण्यवस्तुओं की आपूर्ति संसाधनों की उपलब्धता और उपलब्ध प्रौद्योगिकी के अनुसार उत्पादन क्षमता पर निर्भर करती है। कृषि उत्पाद की कीमतें मांग, आपूर्ति की स्थिति और बाजार की क्षमता द्वारा प्रभावित होते हैं। यद्यपि मांग वृद्धि (अर्थात् जनसंख्या और बढ़ती

हुई प्रति व्यक्ति आय के कारण) के बावजूद आपूर्ति दबाव (अर्थात् सीमित भूमि क्षेत्र) कृषि उत्पाद की कीमतें बढ़ाने में योगदान करता है, परंतु उत्पादकता वृद्धि कृषि उत्पादन की लागत घटाती है। उत्पादकता वृद्धि के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के लिए कीमतें घटती हैं इसलिए यह आवश्यक है कि उत्पादकता वृद्धि को कृषि उत्पाद की खाद्य और खाद्येत्तर मांग में वृद्धि से अधिक होना चाहिए। इसके अलावा बाजार में अदक्षता कृषि उत्पादों के दक्ष वितरण (क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं भर में) को प्रभावित करता है जिससे कीमतों में अस्थिरता रहती है। हाल ही में, इसके कारण खाद्य कमी अनुभव करने वाले देशों में खाद्य दंगे हुए हैं। इसे ''बाजार अस्थिरता के क्षयकारी आर्थिक प्रभाव'' के रूप में उल्लिखित किया गया है। इन समस्याओं पर कृषि व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए नीतिगत ध्यान देना आवश्यक है। मांग गतिशील होने के कारण, यह बढ़े हुए प्रभावों और संचार में विकास से उत्पन्न बढ़ती हुई जागरूकता द्वारा प्रभावित हुई है। इन सभी कारकों के परिणामस्वरूप हाल ही की दशाब्दियों में संसाधित और उच्च कीमत कृषि खाद्य उत्पादों का तेजी से विस्तार हुआ है। इससे कई देशों में खाद्य उत्पादों में संगठित खुदरा व्यापार का क्रांतिकारी विस्तार हुआ है। इतना ही नहीं, बल्कि इसे आधुनिक युग में भूमंडलीकरण की ''दूसरी लहर'' कहा गया है। इसने संसाधित खाद्य उत्पादों के आयात को भी सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है।

**विनिमय दरें – आयात की लागत और निर्यात की कीमतें :**

विनिमय दर अन्य मुद्राओं के अनुसार मुद्रा की कीमत है। विशेष मुद्रा के लिए मांग से विनिमय दरों में उतार-चढ़ाव होता है। विनिमय दर आयात की लागतों और निर्यात के लिए प्राप्त कीमतों को प्रभावित करती है। इस प्रकार व्यापार की शर्तें और व्यापार संतुलन भी प्रभावित होते हैं। विदेशी और घरेलू पण्यवस्तुओं की तुलनात्मक कीमतें आयात की मांग को निर्धारित करती हैं। यदि देश की मुद्रा विनिमय दर बढ़ने के कारण उसी आयातित माल की कीमत की तुलना में घरेलू पण्यवस्तु की कीमत बढ़ती है तो विदेशी पण्यवस्तुओं की मांग बढ़ती है। इसी प्रकार देश के निर्यात को आयात करने वाले देश के अपने उत्पाद और उन पण्यवस्तुओं की सापेक्ष कीमतों पर निर्भर करेगा।

**पण्यवस्तु कीमतें और व्यापार स्थिति :** विकासशील देशों में माल के विनाशशील स्वरूप और घटिया भंडारण सुविधाओं के कारण कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लाभ उस सीमा तक उत्पादकों/उपभोक्ताओं तक नहीं पहुंचते हैं जो उच्चतर उत्पादकता द्वारा उचित सिद्ध होता है। इस क्षेत्र की त्रुटियों के कारण उत्पादकता के लाभ पर उन संसाधनकर्त्ताओं का अधिकार हो जाता है जो अधिकांशतः पूँजी तथा भंडारण सुविधा संपन्न उद्योगपति हैं। औद्योगिक माल के लिए ऐसा नहीं है क्योंकि इन वस्तुओं के लिए बाजार न केवल अपूर्ण है बल्कि उत्पाद अपने शीघ्र-अविनाशशील स्वरूप के कारण आसानी से संरक्षित किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, **व्यापार शर्तों** में ''ग्रामीण परिधि'' के विरुद्ध और ''औद्यागिक केंद्रों'' के पक्ष में जाने की प्रवृत्ति होती है। इन कारणों से कृषि कीमतों का ऊर्ध्वाधर संचलन पीछे अनेक वर्षों में निरंतर दिखाई पड़ा है और इसके दीर्घकालीन आधार पर विद्यमान रहने का भय है। विश्व स्तर पर यह ऊर्ध्वगामी प्रवृत्ति मुख्य रूप से तीन परिदृश्यों के कारण है, अर्थात् (i) आर्विभावी

देशों (जैसे चीन, भारत और ब्राजील) में तीव्र आर्थिक संवृद्धि से उनके दैनिक आहार में सुधार, (ii) कृषि में ऊर्जा व्यय बढ़ाने वाली तेल कीमतों में अस्थिरता जिसके प्रतिस्वरूप जैव ईंधन विनिर्माण के लिए सरकारी साहाय्य प्रारंभ हुआ, और (ii) घटते हुए अनुसंधान व्यय के कारण कृषि में तकनीकी प्रगति में अवरुद्धता। खाद्य आत्मनिर्भर होने वाली अत्यधिक आबादी और आर्विभावी अर्थव्यवस्थाओं की खाद्य आयात आवश्यकताएँ न्यूनतम होंगी। इसका प्रभाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में खाद्य कीमतों पर होगा।

### 26.2.2 नीति संबंधी कारक

विभिन्न देशों द्वारा व्यापार आसान बनाने या सीमित करने के लिए और अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताएं पूरी करने के लिए भी नीतियां बनाई और क्रियान्वित की जाती हैं। इस अधीन प्रयुक्त उपाय, व्यापार प्रोत्साहित करने या सीमित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कर या अन्य प्रतिबंध हैं। व्यापार पर प्रतिबंध सामान्यतया घरेलू उत्पादकों या उद्योगों का संरक्षण करने की आवश्यकता के कारण आवश्यक हो जाते हैं। निर्यात प्रोत्साहित करने और निर्यात बाजारों के लिए उत्पादन करने वाले उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण पैदा करने के लिए छूट दी जाती है। कुछ नीतियां अंतर्राष्ट्रीय वचनबद्धताओं, जैसे बाजार सुलभता और परिमाणात्मक उपायों के शुल्कीकरण जैसी WTO व्यवस्था को पूरा करने के लिए आवश्यक होती हैं। इन पर विस्तार से चर्चा अगली इकाई में की गई है।

**कर और सीमा शुल्क** व्यवस्था को नियमित करने के लिए प्रयुक्त महत्त्वपूर्ण नीति उपाय हैं। सीमा शुल्क वह कर है जो आयातित पण्यवस्तु पर लगाया जाता है। यह उस पण्यवस्तु पर लगाया जाता है जिसे स्वदेश में ही उत्पादित किया जाता है। यह देश की सरकार के लिए राजस्व उत्पन्न करता है, जो सरकारी व्यय के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है। जहां देशी उत्पादक आयात द्वारा नकारात्मक ढंग प्रभावित होने की संभावना होती है, आयातित पण्यवस्तुओं को अधिक मंहगा बनाने के लिए और आयात/निर्यात निरुत्साहित करने के लिए अधिक सीमा शुल्क लगाया जाता है। यह मामला उन पण्यवस्तुओं के विपरीत है जिनका घरेलू उपभोग के लिए अपेक्षित पर्याप्त मात्रा में उत्पादित नहीं हो पाता है। उदाहरण के लिए, खाद्य तेल के मामले में भारत सरकार ने सीमा शुल्क कम रखा है क्योंकि तिलहन और खाद्य तेल का घरेलू उत्पादन मांग पूरी करने के लिए अपर्याप्त है। ऐसी नीति के माध्यम से न केवल देशी उत्पादकों के हितों की रक्षा की जाती है, बल्कि घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है।

**व्यापार के लिए गैर-शुल्क रहित अवरोध :** सीमा शुल्क से इतर अवरोध कई रूप ले सकते हैं जैसे (i) आयात पर पूर्ण प्रतिबंध, (ii) आयात कोटा और परिमाणात्मक प्रतिबंध, और (iii) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता प्रतिबंध। जब विशेष पण्यवस्तु या उद्योग को संरक्षित किया जाना आवश्यक है या जब घरेलू उपभोक्ताओं का कल्याण दाव पर लगा हो, पण्यवस्तु के निर्यात या आयात पर पूर्ण या आंशिक प्रतिबंध लगाया जा सकता है। हाल ही के वर्षों में, कृषि पण्यवस्तुओं में चावल निर्यात के मामले में समय-समय पर इस उपाय का सहारा लिया गया था। किसी वर्ष विशेष में किन्हीं वस्तुओं की आयात की जा सकने वाली मात्राओं की सीमाओं का निर्धारण घरेलू किसानों के संरक्षण के लिए किया

गया है। परंतु WTO की शर्तों के अधीन सभी सदस्य देशों को चरणबद्ध तरीके में सभी परिमाणात्मक प्रतिबंध हटाना और सीमा शुल्क लगाना शुरू करना आवश्यक है।

गैर-शुल्क रहित बाधा का महत्त्वपूर्ण रूप WTO के अस्तित्व में आने के बाद प्रकट हुआ है। यह सुरक्षा और गुणवत्ता के आधार पर आयातों पर प्रतिबंधों से संबंधित है। अन्य विवादास्पद विषय निर्यात का संवर्धन करने के लिए साहाय्य का प्रयोग है। बहुत से देशों ने निर्यात को आर्थिक सहायता देना जारी रखा है, इस प्रकार वे आयात करने वाले देशों की घरेलू रूप से उत्पादित पण्यवस्तुओं की तुलना में अपने उत्पादों को अधिक सस्ता बना रहे हैं।

**निर्यात नीति और बाजार अस्थिरता** : अवांछित आयात से घरेलू किसानों का संरक्षण करने की दृष्टि से कृषि आयातों को हतोत्साहित करना और निर्यात वृद्धि प्राप्त करने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त निर्यात को प्रोत्साहित करना बहुत से देशों द्वारा अपनाई गई नीतियाँ रही हैं। अधिक उत्पादन वाले देशों द्वारा ''डम्पिंग'' अर्थात् उत्पादन लागत से भी सस्ते दामों पर बेचना, नाम की परिघटना न केवल खाद्य भंडार का निकास करती है बल्कि बाजार पर अधिकार करने की आक्रामक निर्यात नीति होती है अनेक देशों ने साहाय्य प्राप्त उत्पादनों का भी बड़े स्तर पर निर्यात किया है। भारत में भी 1990 के दशक से खाद्यान्नों का अधिक मात्रा में निर्यात व्यापार नीति की एक विशेषता रही है। यह इस तथ्य के बावजूद है कि विश्व बाजार में हमारे अनाज को मानक अंतर्राष्ट्रीय कीमतों से काफी कम दाम मिले हैं। उदाहरण के लिए, 2001 में गेहूँ $103 प्रति टन बेचा गया था जबकि उस समय विश्व जार में प्रचलित कीमत $130 थी। उसकी असाधारण विशेषता यह है कि ऐसे निर्यातों को बहुत अधिक आर्थिक सहायता दी जाती है। उदाहरण के लिए, 2001 में FCI के लिए एक टन गेहूँ की आर्थिक लागत रु. 8300 थी, जबकि यह रु. 4000 प्रति टन की कीमत पर निर्यात किया गया था। अभी हाल ही 2012 में, रु. 1 बिलियन की भारी साहाय्य पर गेहूँ का अतिरिक्त स्टॉक निर्यात करने का निर्णय किया गया था। ऐसे कदम का विरोध कुछ सक्रियतावादियों द्वारा किया गया जो देश में विद्यमान गंभीर कुपोषण को देखते हुए ऐसे निर्यात के विरुद्ध हैं। परंतु ऐसी नीति के ''आर्थिक औचित्य'' इन कारकों से जोड़े गए हैं, जैसे (i) अवैज्ञानिक ढंग से स्टोर किए गए खाद्यान्न की चूहों, नमी आदि से भारी क्षति के कारण राजकीय कोष को अनुमानित क्षति (रु. 20,000) बहुत अधिक होती है, (ii) स्फीति में चीनी, अन्नोत्पादों और सब्जियों की कीमतों का योगदान खाद्यान्न (गेहूँ/चावल) से कम माना गया है, जिसके कारण अधिशेष गेहूँ का निर्यात अधिक विवेकपूर्ण समझा गया, और (iii) अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से USSR जैसे कुछ गेहूँ, निर्यात देशों में भारी सूखे के कारण आपूर्ति में गिरावट है। इसके अलावा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (देखिए इकाई 9, उपभाग 19.5.4) की वचनबद्धता पूरी करने के लिए आवश्यकता तो FCI गोदामों में विद्यमान स्टॉक की अपेक्षा बहुत कम है। फिर भी यह सत्य है कि देश के अंदर आपूर्ति की स्थिरता बनाए रखने के लिए निर्यात कर लगाने की पद्धति देश बनाते हैं और इस प्रकार के आयात से घरेलू उत्पादकों के संरक्षण के लिए ऊँचा आयात शुल्क लगाते हैं। परंतु ऐसी पद्धति कुछ देशों में कृषि उत्पादों के आधिक्य की स्थिति बनाकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार को अस्थिरता की ओर ले जाती है। दूसरे शब्दों में, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बीच मूल्य संचलन

का संप्रेषण कम करने के अलावा, इष्टतम क्षेत्र के लिए तुलनात्मक लाभ वाले देश द्वारा अधिक उत्पाद का औचित्य ऐसी नीति से पराजित हो जाता है।

**घरेलू सरोकार बनाम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाध्यताएं :** कृषि में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए व्यापार बाधा कम करने के उद्देश्य से खाद्य सुरक्षा के घरेलू उद्देश्यों, बाजार अस्थिरता और (भारी कृषि साहाय्यों द्वारा उत्पन्न) मैक्रो आर्थिक असंतुलन के बीच संतुलन स्थापित करने की नीतियों को घरेलू आर्थिक अनिवार्यताओं से संघर्ष करना पड़ता है। इसके अलावा, देशों की घरेलू नीतियां संरक्षणवाद से लाभ उठाने वाले गुटों द्वारा व्यय की गई विशाल धनराशि से प्रभावित हो सकती है। अध्ययनों ने एक ओर घरेलू कृषि समस्याओं का प्रबंध करने के लिए नीतियों, अनिवार्यताओं और दूसरी ओर कृषि में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए वरीय वातावरण के लिए ऐसी नीतियों के नकारात्मक प्रभावों के बीच निकट संबंध प्रदर्शित किया है। दो के बीच अपेक्षित समीकरण की स्थापना के लिए महत्त्वपूर्ण आयाम यह है कि ''कच्चे तेल की कीमतें खाद्य कीमतों को कैसे प्रभावित करती हैं।'' कच्चे तेल की ऐसी कीमतें स्थापित करने के लिए जिन पर खाद्य कीमतें आगे अप्रभावित रहें, कृषि से जैव ईंधन की संभावना व्यापार समीकरण में संभावित कारक/चर के रूप में उभरी है।

### 26.2.3 संस्थागत कारक

आयात और निर्यात दोनों के लिए आधारभूत संरचना देश के व्यापार स्तर को निर्धारित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कृषि व्यापार के मामले में आधारभूत संरचना को पण्यवस्तुओं के विनाशशील स्वरूप के कारण और अधिक महत्त्व मिलता है। दक्ष परिवहन और संचालन सुविधाएं कृषि व्यापार के लिए अनिवार्य पूर्वापेक्षाएं हैं। इतनी ही अनिवार्य संचार की आधारभूत सुविधाएं हैं। फल-सब्जी तथा फूल जैसी वस्तुओं के मामले में शीत भंडार श्रृंखला उत्पाद की गुणवत्ता बनाए रखने में और उसका शेल्फ जीवन बढ़ाने में बहुत महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

भौतिक आधारभूत संरचना के साथ कतिपय गुणवत्ता पैरामीटर सुनिश्चित करने के लिए पण्यवस्तुओं के पूर्वापचार की सुविधाएं भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करती हैं। उदाहरण के लिए, कई देश फलों को स्वीकार करने से पहले उन्हें वाष्प ऊष्मा उपचारित किया हुआ चाहते हैं।

**बोध प्रश्न 1**

नीचे दिए स्थान में अपना उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए।

1) संक्षेप में दो कारण बताइए, विदेश व्यापार की ओर देश क्यों आकर्षित होते हैं?

.....

.....

.....

.....

2) वे मुख्य कारक क्या हैं जो कृषि वस्तुओं में विदेश व्यापार को प्रभावित करते हैं?

.....

.....

.....

.....

3) वह शर्त बताइए जिसके पूरा होने पर कृषि में उत्पादकता वृद्धि के लाभ कम कीमतों के रूप में उपभोक्ताओं तक पहुँच सकते हैं।

.....

.....

.....

.....

4) हाल ही की घटना के किस परिदृश्य का वर्णन बाजार अस्थिरता के 'क्षयकारी प्रभाव' के रूप में किया गया है? वे क्या आर्थिक कारक हैं जिन्होंने उसकी उपस्थिति में मुख्य रूप से योगदान किया है?

.....

.....

.....

.....

5) उत्पाद/बाजार के कृषि और उद्योग माल के बीच विशेषणीय लक्षण क्या हैं जो कृषि के विरुद्ध जाने के लिए व्यापार की शर्तों प्रभावित करते हैं?

.....

.....

.....

.....

6) तीन मुख्य भूमंडलीय परिघटनाएं बताइए जिनसे कृषि कीमतों में ऊर्ध्व प्रवृत्ति जारी रहने का भय है। यह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य कीमतों को कैसे प्रभावित करेगा?

.....

.....

.....

7) डम्पिंग क्या है? मुख्य कारण क्या हैं? इसे व्यवहार में क्यों लाया जाता है?

.....

.....

.....

.....

8) साहाय्यी खाद्यान्न निर्यात करने के संबंध में भारत सरकार के हाल के निर्णय पर सक्रियतावादियों की क्या चिंता है? ऐसे निर्णय के लिए आप क्या आर्थिक औचित्य निर्दिष्ट कर सकते हैं?

.....

.....

.....

.....

9) अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में करों/आयात शुल्कों द्वारा कृषि उत्पादों का निर्यात/आयात कम करने के दो कारण बताइए।

.....

.....

.....

.....

10) कृषि में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अनुकूल वरीयतापूर्ण वातावरण स्थापित करने के लिए अपेक्षित नीतियाँ बनाने में किन घरेलू चिंताओं के आयामों का सामना किया जाना है?

.....

.....

.....

.....

11) कृषि में संस्थागत कारक विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कैसे महत्त्वपूर्ण हैं?

.....

.....

.....

## 26.3 भारत का कृषि व्यापार

भारत में कृषि व्यापार में बदलती हुई प्रवृत्तियों का विश्लेषण करने के लिए हमें भारत के निर्यात और आयात के आंकड़ों के स्रोत के बारे में जानना आवश्यक है। वाणिज्य मंत्रालय के अधीन वाणिज्यिक अधिसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (DGCIS) व्यापार पर आंकड़ा संकलित करता है। ये आंकड़े मासिक और वार्षिक काल श्रृंखला में नियमित रूप से प्रकाशित किए जाते हैं। वार्षिक आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं। कई अन्य संगठनों, जैसे RBI, वित्त मंत्रालय (MoF), केंद्रीय सांख्यिकी संगठन (CSO) आदि के प्रकाशन भी व्यापार आंकड़ों की रिपोर्ट देते हैं। विशेषकर RBI अपने प्रकाशन हैंडबुक ऑफ स्टेटिस्टिक्स इन इंडियन इकानॉमी में, वित्त मंत्रालय अपने वार्षिक आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्टों और CSO अपने वार्षिक प्रकाशन स्टेटिस्टिक्ल एब्स्ट्रेक्ट में व्यापार पर आंकड़े प्रकाशित करते हैं। किंतु इनके प्रकाशनों में अधिकांशतः सामान्य वार्षिक आंकड़े ही होते हैं, पण्यवस्तुवार ब्यौरेवार सूचना को HS आंकड़े कहते हैं (इसकी रूपरेखा नीचे दी गई है) और आयात के स्रोत तथा निर्यात के गंतव्य स्थानों (जो व्यापार की दिशा निर्दिष्ट करता है) की विस्तृत जानकारी DGCIS प्रकाशन में उपलब्ध है। कृषि और संबद्ध उत्पादों के 15 मुख्य समूहों के निर्यात पर आंकड़े प्रकाशित किये जाते हैं अर्थात् (i) चाय, (ii) कॉफी, (iii) चावल, (iv) गेहूँ, (v) कपास, (vi) तंबाकू, (vii) काजू, (viii) गर्म मसाले, (ix) तेल, (x) फल और सब्जियां, (xi) संसाधित फल और जूस, (xii) समुद्री उत्पाद, (xiii) चीनी और सीरा, (xiv) गोश्त उत्पाद, और (xv) अन्य कृषि उत्पाद। कृषि और संबद्ध उत्पादों के आयात पर तद्नुरूपी आंकड़े चार सामान्य वस्तु शीर्षों में प्रकाशित किए जाते हैं, अर्थात् (i) धान्य और संबद्ध उत्पाद, (ii) खाद्य तेल, (iii) दलहन, और (iv) चीनी। यद्यपि इनका संबंध ''विपुल उपभोग माल'' (जैसे खाद्य, कृषि कच्चा माल, कपास, तंबाकू आदि) के अधीन वगीकृत किया गया है, परंतु कुछ अन्य आयातित कृषि मदों, जैसे कागज, कच्चा रबड़ और पल्प को ''अन्य विपुल मदों के अधीन अलग से प्रकाशित किया जाता है। नीचे उपभाग 26.3.2 में किए गए भारत के आयात के विश्लेषण में कृषि और संबद्ध उत्पादों को कुल पांच पण्यवस्तु समूहों के अधीन आयात मदें बनाते हुए उपर्युक्त तीन मदों को ''अन्य'' के अधीन सम्मिलित किया गया है। इन विर्दिष्ट पण्यवस्तु मदों के लिए निर्यात और आयात पर आंकड़े अलग से रुपयों और डालरों में प्रकाशित किये जाते हैं। व्यापार के विश्लेषण के लिए अन्य देशों के व्यापार आंकड़ों की भी आवश्यकता हो सकती है। व्यापार पर ऐसे अंतर्राष्ट्रीय आंकड़े विश्व बैंक और खाद्य तथा कृषि संगठन (FAO) से उपलब्ध हैं। FAO की वेबसाइट FAOSTAT के नाम के अधीन विभिन्न पहलुओं पर आंकड़े रखती है। पण्यवस्तु के अनुसार और देश के अनुसार आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र, जनेवा से भी सुलभ हो सकते हैं।

व्यापार सांख्यिकी पर आंकड़ों/सूचना की दृष्टि से {विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT), वाणिज्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित} निर्यात और आयात का ''भारत व्यापार वर्गीकरण'' (सुमेल प्रणाली) { ITC-(HS) } का प्रकाशन दूसरा महत्त्वपूर्ण स्रोत है। कृषि और संबद्ध उत्पादों के लिए हम दो स्तर अर्थात् अनुभाग और अध्याय पर ITC (HS) में किए गए वर्गीकरण का उदाहरण दे सकते हैं। विस्तृत–I अंक अनुभागीय स्तर पर ITC(HS) कृषि और संबद्ध उत्पाद के लिए चार वर्गीकरण

करता है अर्थात् I जीवित पशु, पशु उत्पाद आदि, II वनस्पति उत्पाद, III पशु या वनस्पति वसा या तेल आदि, और TF तैयार खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ आदि। HS अध्याय नाम का वियोजन के द्वितीय स्तर पर (2 अंक स्तर) पर कृषि उत्पादों के आगे आठ संसाधित खाद्य उत्पादों (कोड कोष्ठकों के अंदर) में वितरित किया जाता है, अर्थात् (i) डेयरी उत्पाद, अंडे, शहद आदि (ii) पशु और वनस्पति वसा तथा तेल, आदि (15), (iii) गोश्त, मछली आदि की तैयारियां (16), (iv) चीनी और चीनी मिष्ठान (17), (v) कोको और कोको उत्पाद (18), (vi) धान्य, स्टार्च या दूध, पेस्ट्री पके हुए उत्पाद (19), (vii) सब्जियां, फल, मेवा आदि तैयार करना (20), और (viii) विविध भोज्य पदार्थ तैयार करना (21)। उच्चतम स्तर पर पण्यवस्तुएं ITC (HS) में 6–अंक स्तर पर वर्गीकृत की जाती है। ITC (HS) कोड प्रौद्योगिकी/उत्पादों में परिवर्तन के लिए समय-समय पर संशोधित/अद्यतन किए जाते हैं।

हम भारत की कृषि आयात और निर्यात में प्रवृत्तियों का अध्ययन करते समय इन बातों पर विशेष ध्यान देंगे : (i) कृषि + कृषि पण्यवस्तुओं के कुल निर्यात/आयात के अनुपात के रूप में कृषि पण्यवस्तुओं के निर्यात में प्रवृत्तियाँ, (ii) अपने सापेक्ष शेयर/रैंक के अनुसार निर्यात में अग्रणी वस्तुएं, और (ii) 1990 के/2000 के दशक की निर्दिष्ट पंचवर्षीय अवधियों में आयात/निर्यात में वृद्धि दर।

## 26.3.1 निर्यात में प्रवृत्तियाँ

1996-2011 की अवधि में कुल निर्यातों में कृषि निर्यात का अंश घटता रहा है (तालिका 26.1)। गिरावट 1996-97 के 20.5 प्रतिशत से 2010-11 के 9.7 प्रतिशत तक है (वर्ष 2011-12 में कुछ वृद्धि होकर यह 12.3 प्रतिशत गया है)। यह कमी तुलनात्मक ही है, वैसे यदि इसी अवधि में कृषि निर्यात के कुल मूल्य पर विचार करें तो यह 4.5 गुणा से अधिक की वृद्धि है। यदि हम 2011-12 के अनंतिम आंकड़ों पर विचार करें तो यह वृद्धि 7.4 गुणा हो जाती है। अन्य निष्कर्ष जो हम इस संबंध में निकाल सकते हैं, निम्न प्रकार हैं:

**तालिका 26.1 : कृषि और संबद्ध उत्पादों में मुख्य पण्यवस्तुओं का निर्यात 1997-2012**

**(रुपये बिलियन में)**

| पण्यवस्तु | | 1996-97 | 2000-01 | 2005-06 | 2010-11 | 2011-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | चाय | 10.4 | 17.9 | 17.3 | 33.5 | 41.4 |
| 2 | कॉफी | 14.3 | 11.9 | 15.9 | 30.1 | 45.3 |
| 3 | चावल | 31.7 (III) | 29.3(III) | 62.2(III) | 115.9 (IV) | 241.2(II) |
| 4 | गेहूँ | 7.0 | 4.2 | 5.6 | 0.01 | 10.2 |
| 5 | कपास | 15.8 (V) | 2.2 | 29.0(V) | 131.6(II) | 216.2(III) |
| 6 | तंबाकू | 7.6 | 8.7 | 13.3 | 39.9 | 40.1 |
| 7 | काजू | 12.9 | 20.5(V) | 25.9 | 28.5 | 44.5 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | गरम मसाला | 12.0 | 16.2 | 21.2 | 80.4 | 131.8 |
| 9 | तेल | 35.0 (II) | 20.5(IV) | 48.8(IV) | 110.7(V) | 117.6 |
| 10 | फल-सब्जी (F&V) | 5.8 | 8.4 | 21.3 | 49.1 | 57.1 |
| 11 | संसाधित फल (सब्जी) | 10.9 | 13.2 | 15.9 | 36.7 | 54.6 |
| 12 | समुद्री उत्पाद | 40.1(I) | 63.7(I) | 70.4(II) | 119.2(III) | 165.9(IV) |
| 13 | चीनी और शीरा | 10.8 | 5.1 | 6.0 | 56.3 | 89.8 |
| 14 | गोश्त और संबद्ध | 7.1 | 14.7 | 27.5 | 89.6 | 141.1(V) |
| 15 | अन्य | 22.5(IV) | 36.6(III) | 72.0(I) | 181.5 | 396.5 |
| क | योग (1 से 15) | 243.6 | 272.9 | 452.2 | 1103.0 | 1793.3 |
| | शीर्ष पांच उत्पादों का शेयर (प्रतिशत) | 145.1(59.6) | 170.6(62.5) | 282.4(62.5) | 658.9(59.7) | 1160.9(64.7) |
| ख | कुल निर्यात (कृषि + कृषीत्तर) | 1188.2 | 2035.7 | 4564.2 | 11429.2 | 14592.8 |
| | ख के % के रूप में क | 20.5 | | 9.9 | 9.7 | 12.3 |
| | 1995-96 = 100 पर सूचकांकित कृषि निर्यात | 100.0 | 111.9 | 185.4 | 452.2 | 753.3 |
| 5 वार्षिक वृद्धि दर (%) | | – | 2.3 | 10.6 | 19.5 | |

**स्रोत** : RBI, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी हैंडबुक, 2012।

**नोट** : (i) कोष्ठकों के अंदर रोमन अंक मूल्य स्थिति में शीर्ष पांच उत्पादों को निर्दिष्ट करते हैं।

(ii) 2011-12 के आंकड़े अनंतिम हैं।

1) शीर्ष पांच प्रमुख उत्पाद जो मिलकर कृषि निर्यात का लगभग 60 प्रतिशत है उनमें चावल, कपास, तेल और समुद्री उत्पाद शामिल हैं। इस समूह में अन्य उत्पाद विविध मदों के हैं जिन्हें ''अन्य'' के अधीन सम्मिलित किया जाता है जिनका समग्र कृषि निर्यात में अंश कृषि की सभी पण्यवस्तुओं के निर्यात में 1996-2012 में लगातार बढ़ा है। वर्ष 2005 तक इस ''अन्य उत्पाद'' समूह ने शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया था और तब से 2006-12 अवधि में ये नियमित रूप से बढ़ते हुए 5.5 गुणा हो गया है।

2) अन्य उत्पाद, जिनका निर्यात स्थिर गति से बढ़ा है, वे हैं : तंबाकू, काजू, गर्म मसाले, फल और सब्जियाँ, संसाधित फल और जूस तथा गोश्त और गोश्त उत्पाद।

3) मूल्य श्रृंखला का सूचकांकन (1995-96 के लिए गुणक कारक 100 ÷ 243.6

प्रयोग कर अर्थात् आधार वर्ष का मूल्य) करने पर यदि 1996-2000, 2000-05, 2005-10 (या अंतिम वर्ष बिंदुओं को लेकर 1997-2001) की तीन पंचवर्षीय अवधियों में वृद्धि दरों की तुलना करें तो हम देखते हैं कि 1996-2000 की अवधि में कृषि निर्यात क्रमशः 2.3 प्रतिशत, 10.6 प्रतिशत और 19.5 प्रतिशत की चक्रवर्धी वार्षिक औसत से लगातार बढ़ा है। इन प्रवृत्तियों से 2005-10 की अवधि कृषि निर्यात के लिए सबसे अधिक उत्पादनकारी रही है। 1997-2011 की 15 वर्ष की अवधि में कृषि निर्यात में दीर्घकालिक औसत चक्रवर्धी वार्षिक वृद्धि दर 10.6 प्रतिशत है और 1997-2012 की 10 वर्षों की अवधि में यह 13.3 प्रतिशत है। ऐसी दीर्घकालिक वृद्धि दर वर्ष प्रति वर्ष बराबर होती है। इस मानदंड से भारतीय कृषि निर्यात ने लगातार, विशेषकर 2000 के बाद के वर्षों में, अधिक अच्छा निष्पादन किया है।

### 26.3.2 आयात में प्रवृत्तियाँ

कृषि आयात के मूल्य में प्रवृत्ति 1997-99 पर ध्यान दें तो इनका मान 75.3 बिलियन रुपए से बढ़कर 2011-12 (वर्तमान कीमतों पर) 866.2 रुपए हो गया है। सुधार पश्च वर्षों, अर्थात् 1996-2012 (तालिका 26.2) की 17 वर्षों की अवधि में आयात मूल्य 11.5 गुणा बढ़ा है। परंतु ''कुल उत्पादों से कुल कृषि आयात'' के अनुपात के रूप में 1996-97 में यह 5.4 प्रतिशत से घटकर 2011-12 में 3.7 प्रतिशत रह गया। पण्यवस्तु उत्पादों के अनुसार हमारे आयात की बड़ी मात्रा ''खाद्य तेल'' है, इसके बाद 'अन्य कृषि उत्पाद' अर्थात् अन्य और दलहन हैं। अन्नोत्पाद और चीनी का संयुक्त सापेक्ष अंश 2010-11 में 5.3 से सिकुड़कर 2011-12 में 1 प्रतिशत से भी कम रहा है। {**नोट** : ये प्रतिशत तालिका 26.2 में नहीं दर्शाई गई है, इनकी गणना 100 मानकर 'क' में योग को लेकर की जा सकती है।} कृषि आयात का मूल्य (1996-97 = 100 के) स्थिर आधार में बदलकर कीमतों में वृद्धि का प्रभाव प्रति संतुलन किया जा सके और समयानुसार तुलना करते हुए, हम इन तीन अन्य निष्कर्षों तक पहुँच पाये हैं :

1) कृषि आयात में पंचवर्षीय औसत वृद्धि दर 1996-2000 में 7.2 प्रतिशत से बढ़कर 2000-05 के दौरान 14.4 प्रतिशत हुई और आगे 2005-10 में 24.9 प्रतिशत हुई।

2) कुल कृषि और संबद्ध GDP निर्यात (अंतिम पंक्ति तालिका 26.2) से कुल कृषि विदेश व्यापार (अर्थात् आयात + निर्यात) का प्रतिशत 1996-97 में 9 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 18.8 प्रतिशत हुआ। ये प्रवृत्तियाँ कृषि व्यापार विनियमों के धीरे-धीरे बढ़ते हुए उदारीकरण का सूचक हैं; और

3) कृषि निर्यात और आयात (तालिका 26.2 में ग और क) में दो जोड़ों की तुलना करने पर हम देखते हैं कि भारत कृषि पण्यवस्तुओं (अर्थात् ग − क > 0) का निवल निर्यातक रहा है।

तालिका 26.2 : कृषि और संबद्ध उत्पादों में बड़ी मात्रा में उपभोक्ता वस्तुओं का आयात–1997-2012

(रुपये बिलियन में)

| पण्यवस्तु | | 1996-97 | 2000-01 | 2005-06 | 2010-11 | 2011-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | धान्य और संबद्ध | 4.9 | 0.9 | 1.6 | 5.5 | 3.4 |
| 2 | खाद्य तेल | 29.3 | 59.8 | 89.6 | 298.6 | 462.4 |
| 3 | दलहन | 8.9 | 5.0 | 24.8 | 71.5 | 87.7 |
| 4 | चीनी | 0.03 | 0.3 | 6.5 | 27.9 | 3.1 |
| 5 | अन्य | 32.2 | 40.4 | 85.5 | 228.9 | 309.6 |
| क | योग (1 से 5) | 75.3 | 106.3 | 208.0 | 632.4 | 866.2 |
| ख | कुल आयात (सभी उत्पाद : कृषि + कृषीत्तर) | 1389.2 | 2308.7 | 6604.1 | 16834.7 | 23459.7 |
| | 1) ख के प्रतिशत के रूप में क | 5.4 | 4.6 | 3.1 | 3.8 | 3.7 |
| | 2) 1995-96=100 पर सूचकांकित कृषि आयात | 100.0 | 141.4 | 276.7 | 841.1 | 1152.0 |
| | 3) 5 वार्षिक वृद्धि दर (%) | – | 7.2 | 14.4 | 24.9 | – |
| ग | कुल कृषि निर्यात | 243.6 | 273.9 | 452.2 | 1103.0 | 1793.3 |
| | कुल व्यापार (क + ग) | 318.9 | 379.2 | 660.2 | 1735.4 | 2659.5 |
| घ | कृषि और संबद्ध | 3531.42 | 4606.08 | 6377.72 | 12698.88 | 14173.66 |
| | ग से घर का अनुपात (%) | 9.0 | 8.2 | 10.4 | 13.7 | 18.8 |

**स्रोत** : RBI, भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी हैंडबुक।

**नोट** : अन्य में शामिल हैं – कागज, रबड़, लुग्दी आदि कृषि उत्पाद।

**बोध प्रश्न 2**

नीचे रिक्त स्थान में अपना उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए।

1) कौन-से तीन सरकारी स्रोत भारत के कृषि व्यापार पर आंकड़े प्रकाशित करते हैं? मुख्य एजेंसी कौन है जो यह आंकड़े एकत्र करती है?

.....

.....

.....

.....

2) प्रथम दो स्तर क्या हैं जिनमें ITC (HS) यथाकथित व्यापार पर आंकड़े प्रकाशित करता है? उन आठ कृषि उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें ITC में उसके वर्गीकरण के दूसरे स्तर में शामिल किया गया है।

.....

.....

.....

.....

3) उन मुख्य कृषि और संबद्ध पण्यवस्तुओं को बताइए जिनके लिए निर्यात पर आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं।

.....

.....

.....

.....

4) वे पांच सामान्य पण्यवस्तु शीर्ष क्या हैं जिन पर कृषि और संबद्ध उत्पादों के आयात पर आंकड़े प्रकाशित किए जाते हैं?

.....

.....

.....

.....

5) 1996-2011 की अवधि में हमारे कृषि निर्यात में (प्रतिशत के अनुसार) क्या प्रवृत्ति रही है?

.....

.....

.....

.....

6) उन पांच शीर्ष कृषि पण्यवस्तुओं की पहचान कीजिए जिन्होंने मिलकर भारतीय निर्यात पर प्रभुत्व किया और उसे आगे ले गयीं। इनमें से किसने हाल ही के वर्षों में अपन श्रेणीक्रम/शेयर निरंतर सुधारा है?

.....

.....

.....

.....

7) भिन्न-भिन्न समयावधियों में कृषि वृद्धि की तुलना करने के लिए परिकलनात्मक आवश्यकता के रूप में की जाने वाली विशेष सावधानी की आवश्यकताएँ क्या हैं? बताइए। तालिका 26.2 प्रस्तुत कृषि आयात दर आंकड़ा के लिए आंकड़ा श्रृंखला में यह समायोजन को कैसे प्रभावित करता है?

.....

.....

.....

.....

8) कृषि निर्यात में वृद्धि दर के अनुसार 1996-2012 की अवधि में कौन सी विशेष अवधि भारतीय कृषि निर्यात के लिए सबसे अधिक उत्पादनकारी रही है?

.....

.....

.....

9) 1997-2012 की लंबी अवधि में कृषि निर्यात में वृद्धि दर क्या रही है? यह वृद्धि दर भारत में कृषि उत्पादों के लिए समग्र निर्यात प्रवृत्ति पर क्या संकेत देती है?

.....

.....

.....

10) कृषि निर्यात में 1997-2012 की अवधि में सामान्य प्रवृत्ति बताइए।

.....

.....

.....

11) पण्यवस्तु समूहों के अनुसार वर्ष 2010-11 और 2011-12 में धान्य और चीनी निर्यात के संयुक्त अंश में क्या प्रवृत्ति रही है?

.....

.....

.....

12) 1997-2012 की अवधि में ''कुल कृषि और संबद्ध GDP से ''कुल कृषि विदेश व्यापार'' के अनुपात में क्या प्रवृत्ति है?

.....

.....

.....

## 26.4 व्यापार नीति

भारत में व्यापार नीति वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा घोषित निर्यात-आयात नीति (या एक्जिम नीति) में विनिर्दिष्ट प्रावधानों में निहित होती है। सामान्य एक्जिम नीति पांच वर्षों में एक बार घोषित की जाती है। वर्तमान एक्जिम नीति के अंतर्गत 2009-14 की अवधि आती है। एक्जिम नीति को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को पुनः नवीकृत की जाती है और घोषित संशोधित प्रक्रियाएं प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल

से लागू होती हैं। ऐसे संशोधन आम बजट में की गई घोषणा को समाहित करते हैं, जैसे (i) आयात को अधिक सस्ता/मंहगा बनाने के लिए सीमा शुल्क कम करना/बढ़ाना; (ii) अतिरिक्त निर्यात मंहगा/सस्ता बनाने के लिए शुल्क लगाना या उसे कम करना; और (iii) देश में आयात शुल्कों की दरों में परिवर्तनों की घोषणा की जाती है। 1980 के दशक के प्रारंभ तक आयात प्रतिस्थापन का अनुसरण करने के बाद बाद भारत ने 1980 के दशक में पहले औद्योगिक वस्तुओं के लिए पहले व्यापार उदारीकरण की आंशिक प्रावस्था में प्रवेश किया और बाद में कृषि माल के लिए 1990 के दशक के उत्तरार्ध में कदम उठाए। इसे ध्यान में रखते हुए हमारा फोकस कृषि में उदारीकरण की नीतियों के अध्ययन पर 1990 के दशक के बाद प्रारंभ किए गए उपायों तक सीमित रहेगा। इसके अलावा दो विशिष्ट उपायों अर्थात् (i) परिमाणात्मक प्रतिबंधों और सीमा शुल्क (साधारणतया विदेश व्यापार नियंत्रित करने में प्रयुक्त) को ध्यान में रखते हुए हम मुख्यतया इन दो पहलुओं में परिवर्तनों पर ध्यान केंद्रित करेंगे। नीति लक्ष्य का अन्य क्षेत्र व्यापार संवर्धन करने के लिए देशों के बीच किए गए द्विपक्षीय और बहुपक्षीय करारों से संबंधित है। इस दृष्टि में हम कुछ खास करारों के सोदाहरण विवरण के साथ इस इकाई में अपने विचारों को शामिल करेंगे।

### 26.4.1 परिमाणात्मक प्रतिबंध और सीमा शुल्क

संकल्पनात्मक दृष्टि से सामान्यतया परिमाणात्मक प्रतिबंधों का संबंध ''कोटा'' से है। विशेषकर आयात कोटा का आर्थिक प्रभाव आयातित माल की घरेलू कीमतें अधिक महंगी बनाना है। दूसरी ओर, सीमा शुल्क आयात या निर्यात की मात्रा को सीमित किए बिना आयातित या निर्यातित माल पर शुल्क या उपकर लगाना है। इस प्रकार यद्यपि पण्यवस्तु की कीमत पर ''शुल्क'' लगाने का प्रभाव कोटा के समान है, फिर भी इन दोनों में बड़ा अंतर है। अंतर यह है कि शुल्क सरकार को राजस्व देता है, परंतु कोटा कोई राजस्व नहीं देता है। इसके विपरीत यदि यह आयात के लिए शुल्क है, तो यह कीमत स्तरों में विरूपण की लागत पर अधिक लाभ अर्जित करने में आयातकर्त्ता की सहायता करता है। किंतु ''आयात कोटा'' के रूप में बाजार में एकाधिकार के मामले की तुलना में ''आयात शुल्क'' से घरेलू कीमतों में वृद्धि अपेक्षाकृत कम होती है। दूसरे शब्दों में, आयात करने वाले देशों के लिए कोटा की लागत शुल्क की अपेक्षा अधिक है। इस प्रकार राजस्व अर्जन करने का कार्य इस तथ्य के अलावा शुल्क की विभेदकारी विशेषता है कि यह व्यापार बातचीत में प्रयोग के लिए अधिक आसान उपाय है।

भारत में, कृषि में सुधारों की गति 1993-94 के बाद तेज हुई। भारत में कृषि आयात पर कराधान के तीन घटक हैं, अर्थात् (i) मूल शुल्क, (ii) VAT और वैसे ही घरेलू उत्पादों के लिए लागू अन्य कर के समान अतिरिक्त प्रति शुल्क), और (iii) 2 प्रतिशत अधिभार (जिससे प्राप्त राजस्व बच्चों के लिए दोपहर के भोजन सहित प्राथमिक शिक्षा निधीयन के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इन तीन घटकों पर शुल्क की दरें पिछले वर्षों में भिन्न-भिन्न रही हैं। WTO के दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए कृषि पण्यवस्तुओं जैसे (i) गेहूँ और गेहूँ उत्पाद, (ii) चावल, (iii) दलहन, और (iv) तिलहन के आयात पर परिमाणात्मक प्रतिबंध 2000 के तत्काल बाद हटाए गए हैं।

वर्ष 2005-06 के अंत तक आठ HS-अध्याय कृषि उत्पादों (उल्लिखित) का औसत सीमा शुल्क काफी घटाया गया। परंतु विशिष्ट उत्पादों की दरों के अनुसार खाद्य उत्पादों (2005-06 में) के लिए लागू कुल आयात शुल्क 30 प्रतिशत से (कोको और कोको उत्पादों तथा विविध खाद्य उत्पादों के लिए) बढ़ाकर 75.5 प्रतिशत (पशु और वनस्पति वसा तथा तेल) किया गया (तालिका 26.3)।

खाद्य उत्पादों के आयात को विशेष रूप से दो स्थितियों में प्रोत्साहित किया गया, अर्थात् (i) कुछ खाद्य मदों की घरेलू आपूर्ति में लगातार कमी (जैसे दलहन) या (ii) घरेलू संसाधन उद्योगों (जैसे कपास और चीनी) के कार्य करने में बाधा उत्पन्न करने वाली आपूर्ति में अस्थायी विघटन। यद्यपि कुल आयात शुल्क में कटौती खाद्य उत्पादों के लिए काफी थी। पहले विद्यमान स्तरों की तुलना में, अर्थात् 1986 में कृषि पण्यवस्तुओं के लिए औसत शुल्क 150 प्रतिशत था और 1992 में यह 115 प्रतिशत था। यह सोचते हुए कि 2006-07 में औद्योगिक शुल्कों में से लगभग 90 प्रतिशत 12.5 प्रतिशत दर पर थे, कृषि उत्पादों के लिए शुल्क (37.6 प्रतिशत पर) अभी भी कृषीत्तर वस्तुओं के लिए लागू शुल्क के औसत स्तर की तुलना में तीन गुणा था। इस संबंध में कृषि और कृषीत्तर वस्तुओं के बीच अंतर की मात्रा इस तथ्य से सुसंगत थी कि : (i) औद्योगिक माल के लिए बाजार पहले प्रारंभ किए गए, और (ii) कृषि बाजार न केवल कुछ वर्ष बाद खोले गए बल्कि चरणबद्ध तरीके में इस सेक्टर को धीरे-धीरे खोलने की नीति द्वारा प्रतिस्पर्धात्मक दबाव से पृथक रखना अभिप्राय था। यह बात विशेषकर भारतीय अर्थव्यवस्था के कृषि संबंधी स्वरूप और असाधारण घरेलू समस्याओं के कारण है जहां कामगारों का बड़ा भाग न केवल आजीविका के लिए कृषि पर आश्रित है बल्कि उनकी उत्पादकता/दक्षता स्तर सुधारने के बारे में अपेक्षित संस्थागत सहायता प्रणालियां भी अभी तक पर्याप्त विकसित नहीं हैं।

**तालिका 26.3 : भारत में संसाधित खाद्य उत्पादों के लिए औसत शुल्क (%)**

| HS अध्याय कोड | HS अध्याय में खाद्य उत्पाद का विवरण | औसत शुल्क (%) |
|---|---|---|
| 04 | डेयरी उत्पाद, अंडे, शहद आदि | 34.1 |
| 15 | पशु और वनस्पति वसा और तेल उत्पाद | 75.5 |
| 16 | गोश्त, मछली आदि प्रसंस्करण | 34.1 |
| 17 | चीनी और चीनी मिष्ठान | 35.4 |
| 18 | कोको और कोको प्रसंस्करण | 30.0 |
| 19 | सीरियल, स्टार्च या दूध आदि का प्रसंस्करण | 31.2 |
| 20 | सब्जियां, फलों, नट्स आदि का प्रसंस्करण | 30.2 |
| 21 | विविध खाद्य प्रसंस्करण | 30.0 |
| | 8 संसाधित खाद्य मदों का औसत | 37.6 |

**स्रोत** : WB 2008, पृष्ठ 12

## 26.4.2 व्यापार करार

व्यापार करार दो या अधिक देशों के बीच संविदात्मक व्यवस्था है। वे द्विपक्षीय व्यापार करार (BTAs) कहलाती है यदि देशों की सहभागिता में दो तक सीमित

रखी जाती है और बहुपक्षीय करार (MTAs) यदि देशों की संख्या दो से अधिक होती है। अधिकांश देशों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बाधाओं, जैसे सीमा-शुल्क, गैर-शुल्क बाधाओं जैसे QRs (परिमाणात्मक बाधाओं) आदि द्वारा विनियमित किए जाते हैं। संधियों का उद्देश्य सम्मिलित देशों के लिए अपेक्षित ''लेवल प्लेइंग फील्ड'' द्वारा बाधाओं में कमी करना होता है। निर्णीत रियायतों की सीमा निर्धारित करती है कि क्या यह करार मुक्त व्यापार करार है या व्यापार वरीयता करार है। जब तक वांछित लाभ नहीं होता कोई भी देश व्यापार करार का हस्ताक्षरकर्त्ता नहीं हो सकता। आदान-प्रदान सभी व्यापार करारों की आवश्यक विशेषता है। एक अन्य साधारण विशेषता परममित्र राष्ट्र (MFN) खंड की है जो इस संभावना को रोकता है कि करार का हस्ताक्षरकर्त्ता किसी अन्य देश को कम शुल्क का लाभ दे सकता है। सामान्यतया व्यापार करार भी ''राष्ट्रीय गैर-शुल्क प्रतिबंध व्यवहार'' खंड भी शामिल करते हैं जिसका अभिप्राय है कि सम्मिलित देश शुल्क इतर बाधाएं जैसे (i) भेदभावपूर्ण विनियम, (ii) चयनात्मक उत्पाद कर, (iii) कोटा या (iv) विशेष लाइसेंस अपेक्षिताएं लगाकर दी गई शुल्क सुविधा व्यर्थ नहीं करेंगे।

भारत ने अभी तक 40 से अधिक व्यापार करार किए हैं जिनमें से लगभग 11 (या 27 प्रतिशत) MTA हैं और 30 (73 प्रतिशत) BTA हैं। उदाहरण के लिए, SAFTA (दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार) और APTA (एशिया प्रशान्त व्यापार करार) बहुराष्ट्रीय करार हैं। MTA का एक अन्य उदाहरण, भारत और चार लेटिन अमेरिकी देशों (अर्थात् ब्राजील, अर्जेंटाईना, यूराग्वे और पराग्वे) के बीच हस्ताक्षरित मेर्कोसुर व्यापार वरीयता करार है जिनमें मेर्कोसर देशों से भारत को निर्यातित 14 कृषि खाद्य पण्यवस्तुओं और भारत से मेर्कोसुर दशों को निर्यातित 11 कृषि खाद्य पण्यवस्तुओं को अधिमान व्यवहार दिया गया है। BTA में भारत और सिंगापुर के बीच वृहद आर्थिक सहयोग करार (CECA) ऐसा उदाहरण है जहां उदारीकृत शुल्क व्यवहार के लिए कृषि खाद्य मदों को शामिल किया गया है। सिंगापुर और भारत के बीच कुल 11,666 उत्पादों में से 1446 (अर्थात् 12.4 प्रतिशत) उत्पाद कृषि खाद्य वस्तुएं ही हैं।

### 26.4.3 नई विदेश व्यापार नीति (2009-14) और कृषि निर्यात

#### कृषि निर्यात

2009-14 की अवधि के लिए घोषित नई विदेश व्यापार नीति के दो मुख्य उद्देश्य हैं अर्थात् (i) 2014 तक भारत के माल और सेवाओं का निर्यात दुगुना करना, और (ii) 2020 तक विश्व व्यापार में भारत का शेयर दुगुना करना (जो 2008 में लगभग 1.5 प्रतिशत था) विभिन्न उपायों के मिश्रण द्वारा निर्यात प्रोत्साहित करने के लिए नीतिगत प्रयास करना, जैसे वित्तीय प्रोत्साहन, (iii) संस्थागत परिवर्तन, (iii) प्रक्रियात्मक युक्तिकरण, और (iv) निर्यात बाजार के विविधीकरण द्वारा बाजार सुलभता बढ़ाना। विशेषकर भारत का कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए ''विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना'' (VKGUY) नाम की विशेष योजना प्रारंभ की गई है। शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने के बढ़ावा देने के नीति का उद्देश्य समायोजित करने के लिए VKGUY का लक्ष्य, (i) कृषि उत्पाद और उनके मूल्यवर्धित उत्पाद, (ii) लघु वन उत्पाद और उनके मूल्यवर्धित रूप, और (iii) समय-समय पर यथा अधिसूचित अन्य उत्पादों का निर्यात करना है।

इसके अलावा, लेन-देन और संचालन लागत कम करने के लिए विनाशशील कृषि उत्पाद का निर्यात आसान बनाने के लिए नई व्यापार नीति के अधीन ''एकल पटल प्रणाली'' प्रारंभ की गई है।

### 26.4.4 प्रतिकूल प्रभाव

निर्यात बढ़ाने पर लक्ष्यित की व्यापार नीति के प्रतिकूल प्रभाव भी हैं। इसका अनुभव प्रारंभ में ही हुआ जब संस्थागत प्रणालियां छोटे किसानों की सहायता और संरक्षण के लिए सुस्थापित नहीं थी। ऐसे प्रमाद लोगों की रुचि और वरीयताओं में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होते हैं जिससे खास किस्म के माल की मांग बढ़ती है, संभावित मांग के कारण खेती पद्धति में परिवर्तन करने पड़ते हैं परंतु स्थितियों में आकस्मिक परिवर्तन के कारण मांग/कीमतों में अचानक गिरावट हो सकती है। उदाहरण के लिए, केरल में वेनिला, महाराष्ट्र में सोयाबीन आदि के लिए सस्यक्रम बदलने में कीमतों के भ्रामक संकेतों का योगदान रहा। वास्तव में, केरल में पैदा की गई अन्य सभी फसलों की कीमतें गिर रही थी, केवल वेनिला की कीमतें बढ़ रही थी। वेनिला की कीमत में असामान्य वृद्धि का कारण मेडागास्कर में (अधिकतम निर्यातक देश) उत्पादन में अचानक गिरावट आ गई थी। परंतु मेडागास्कर में उत्पादन पुनः हुआ। स्थिति में परिवर्तन से केरल के देशी उत्पादकों के लिए कीमतों में भी भारी गिरावट हो गई थी। जिन्होंने वेनिला उत्पादन करने के लिए सस्यक्रम परिवर्तन किया था, अपनी पहले की फसल (कॉफी) की और वापस नहीं जा सकते थे। ऐसे स्थिति से अनावश्यक कठिनाई उत्पन्न हुई, ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए अच्छी तरह से बनाई गई और अन्य संस्थागत प्रणालियों द्वारा संपूरित फसल बीमा योजना होना आवश्यक है। जैसाकि पिछली इकाई में उल्लेख किया गया है, बहुत सी ऐसी सहायता प्रणालियां धीरे-धीरे विकसित हो रही हैं, परंतु, भारत में अभी अच्छी तरह से विकसित नहीं हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रासंगिकता के अन्य मामलों को उपयुक्त नीति और संस्थागत क्रियाविधि द्वारा यथाविधि संपोषित किया जाना आवश्यक है। हम उनके बारे में इस पाठ्यक्रम की अंतिम इकाई (इकाई 27) में अधिक विस्तार से पढ़ेंगे।

**बोध प्रश्न 3**

नीचे रिक्त स्थान में अपना उत्तर लगभग 50 शब्दों में दीजिए।

1) विदेश व्यापार विनियमित करने के लिए प्रयुक्त दो विशिष्ट उपाय क्या हैं? इनमें से कौन-सा अधिक अपनाया जाता है और क्यों?

.....

.....

.....

.....

2) ''शुल्कों'' का कौन-सा विशेष लक्षण इन्हें ''परिमाणात्मक प्रतिबंधों'' (QR) से भिन्न करता है? ''आयात शुल्क'' कीमत स्तर को कैसे प्रभावित करता है?

.....

.....

.....

.....

3) किन चार विशिष्ट उत्पादों के लिए कृषि आयात पर QR भारत में वर्ष 2001 तक हटाए गए थे?

.....

.....

.....

.....

4) भारत में वर्ष 2005-06 की किस सीमा तक ''आठ संसाधित QR खाद्य अध्यायों'' के लिए औसत शुल्क नीचे लाया गया था? इस कटौती के बावजूद कृषीत्तर माल के लिए शुल्क के तद्नुरूपी स्तर से इसकी कैसे तुलना की गई?

.....

.....

.....

.....

5) भारत में किन दो स्थितियों में खाद्य उत्पादों का आयात विशेष रूप से प्रोत्साहित किया गया?

.....

.....

.....

.....

6) क्या आप सोचते हैं कि कृषि और कृषीत्तर माल के बीच शुल्क दरों में अंतर नीति की दृष्टि से सुसंगत था? यदि ऐसा है तो इसका समर्थन करने के लिए आप क्या तर्काधार सुझा सकते हैं?

.....

.....

.....

.....

7) BTA और MTA के बीच अंतर बताइए। व्यापार करारों का सामान्य उद्देश्य क्या है? सभी व्यापार करारों की आवश्यक विशेषता क्या है?

.....

.....

.....

.....

8) MFN प्रस्थिति का क्या अभिप्राय है? हस्ताक्षरकर्त्ता देश के लिए MFN खंड के समावेश का अनिवार्य रूप से क्या निहितार्थ है?

.....

.....

.....

.....

9) कृषि में भारत द्वारा किए गए BTA और MTA का एक-एक उदाहरण दीजिए।

.....

.....

.....

.....

10) भारत की नई विदेश व्यापार नीति (2009-14) के दो विशिष्ट उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। भारत का कृषि निर्यात बढ़ाने के लिए प्रारंभ की गई खास योजना क्या है?

.....

.....

.....

.....

11) उन स्थितियों का उल्लेख कीजिए जिनके अधीन कृषि निर्यात संवर्धन की नीति कुछ किसानों के हितों के विरुद्ध कार्य कर सकती है। ऐसी स्थिति से उनका संरक्षण करने के लिए क्या उपाय अपेक्षित हैं।

.....

.....

.....

## 26.5 सारांश

सिद्धांत रूप से उच्च आर्थिक संवृद्धि की अवधियों में विदेश व्यापार की गति भी बढ़ने की आशा की जाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था द्वारा अनुभव किए गए उच्च वृद्धि दरों से सुसंगत यह आशा 1996-2012 की अवधि में भारतीय कृषि में विदेश व्यापार के संबंध में सत्य सिद्ध हुई। भारत ने विदेश व्यापार के लिए अपना कृषि सेक्टर धीरे-धीरे खोलने की नीति अपनाई। सेक्टर के उदारीकरण की पहली प्रावस्था में इसने वर्ष 2001 कृषि उत्पादों पर परिमाणात्मक प्रतिबंध समाप्त किए। बाद में कृषि उत्पादों के लिए आयात शुल्क घटाए गए। 1996-2012 की अवधि में कृषि निर्यात की औसत वृद्धि 13.3 प्रतिशत और कृषि आयात की 11.5 प्रतिशत है। निर्यात और आयात के संयुक्त मूल्य पर विचार करने पर और इसे कुल कृषि GDP से संबद्ध करने पर 1996-2012 की अवधि भारतीय कृषि में प्राप्त व्यापार के उदारीकरण की सीमा दुगुनी, अर्थात् 1996-97 में 9 प्रतिशत से 2011-12 में 18.8 प्रतिशत देखी गई है। इसके अलावा, सरकार ने ''विशेष कृषि उत्पाद स्कीम'' प्रारंभ की है और देश से कृषि निर्यात संवर्धन करने के लिए ''विशिष्ट कृषि निर्यात संसाधन क्षेत्र'' स्थापित करने के उपाय किए हैं। इन उपायों से 2020 तक विश्व निर्यात में अपना वर्तमान शेयर दुगुना करने का लक्ष्य है। सरकार ने कई द्विपक्षीय और बहुपक्षीय करार भी किए हैं जिनमें कृषि पण्यवस्तुएं धीरे-धीरे बढ़ रही हैं। यद्यपि इन उपायों से विश्व व्यापार में भारत का शेयर बढ़ने की आशा की जाती है परंतु प्रारंभ में ऐसी नीतियों का प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है। ऐसे प्रतिकूल प्रभावों का सामना करने के लिए कृषि बीमा की दिशा में संस्थागत सहायता का विस्तार और विभिन्न अन्य सहायता सेवाओं के सुदृढ़ीकरण की आवश्यकता है।

## 26.6 शब्दावली

**शुल्क (सीमा शुल्क)** : यह आयातित माल पर लगाया गया सीमा शुल्क है। ये आयातित माल को उन्हीं के समान स्थानीय रूप से उत्पादित (अर्थात् घरेलू) माल की अपेक्षा अधिक कीमत लाभ देते हैं। वे सरकार को राजस्व भी देते हैं। ''WTO के यूराग्वे दौर'' वार्त्ता में देशों को ''शुल्क'' घटाने तथा देशों को अपने सीमा शुल्क ''सीमित'' रखने के लिए वचनबद्ध किया जिससे उनकी वृद्धि का एकपक्षीय कार्य नहीं होगा। दोहा में अनुवर्ती दौर में ''कृषि और कृषीत्तर'' बाजार सुलभता पर इस दिशा में प्रयास जारी रखे।

**परिमाणात्मक प्रतिबंध (QR)** : साधारणतया इसका संबंध ''आयात कोटा'' से है। वे उस माल की मात्रा किसी वस्तु के आयात की उच्चतम सीमा निर्धारित कर देते हैं। QR का एक प्रभाव वैसा ही है जैसा आयात शुल्क का होता है अर्थात् आयातित माल की कीमत अधिक हो जाती है।

**ITC-HS प्रणाली** : इसका संबंध पण्यवस्तुओं का व्यापार करने के लिए ''सुमेलित पण्यवस्तु विवरण और कोड प्रणाली'' से है। जैसे-जैसे देशों के बीच व्यापार का विस्तार हुआ, ऐसी सुमेलित या एकसमान वर्गीकरण की आवश्यकता महसूस की गई। फलस्वरूप 1988 में उन पण्यवस्तुओं के लिए छह अंकों वाली प्रणाली के रूप में HS प्रणाली विकसित की गई जिनका व्यापार देशों के बीच होता है। इस प्रकार यह शुल्क दर के साथ माल के लिए नियत वर्गीकरण है। HS वर्गीकरण की समीक्षा नियमित आधार पर समय-समय में की जाती है ताकि इसे प्रौद्योगिकी की गति के अनुरूप रखा जा सके। इस अंतर्राष्ट्रीय संधि के हस्ताक्षरकर्त्ताओं को ''सुमेलित प्रणाली के अनुभागों, अध्यायों, शीर्षकों या उपशीर्षकों को संशोधित करने की अनुमति नहीं है। यह प्रावधान HS के एकसमान प्रबंधन बनाए रखने के उद्देश्य से किया गया है। ITC-HS का अर्थ इंडियन ट्रेड क्लासिफिकेशन-हार्मोनाइज्ड सिस्टम है।

## 26.7 कुछ उपयोगी पुस्तकें

1) Economic Survey 2012, Ministy of Finance, Government of India.

2) Handbook of Statistics on the Indian Economy, RBI, Government of India.

3) OECD (2007), Agricultual Policies in Non-OECD Countries, Chapter 5 – India, pp. 92-94.

4) World Bank (2008), Trade Policy Overview Report, Chapter 3, [http://siteresources.worldbank.org/SOUTHASIAEXT/Resources/223546-1168296540386/ch3.pdf]

5) Understanding International Trade in Agricultre Products: One Hundred Years of Contriutions by Agricultural Economists, American Journal of Agricutural Economics, Vol. 93 (2), January 2010, pp. 424-426.

## 26.8 बोध प्रश्नों के उत्तर/संकेत

**बोध प्रश्न 1**

1) देखिए भाग 26.2 और उत्तर दीजिए।

2) देखिए भाग 26.2 और उत्तर दीजिए।

3) देखिए उपभाग 26.2.1 और उत्तर दीजिए।

4) देखिए उपभाग 26.2.1 और उत्तर दीजिए।

5) देखिए उपभाग 26.2.1 और उत्तर दीजिए।

6) देखिए उपभाग 26.2.1 और उत्तर दीजिए।

7) देखिए उपभाग 26.2.2 और उत्तर दीजिए।

8) देखिए उपभाग 26.2.2 और उत्तर दीजिए।

9) देखिए उपभाग 26.2.2 और उत्तर दीजिए। (अंतर्राष्ट्रीय बाजार स्थिरता और घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के बीच कीमतों के उतार-चढ़ाव के संप्रेषण में कमी)।

10) खाद्य सुरक्षा बाजार स्थिरता मैक्रो आर्थिक संतुलन और जैव ईंधन साहाय्य।

11) देखिए उपभाग 26.2.3 और उत्तर दीजिए।

**बोध प्रश्न 2**

1) देखिए भाग 26.3 और उत्तर दीजिए।

2) देखिए भाग 26.3 और उत्तर दीजिए।

3) देखिए भाग 26.3 और उत्तर दीजिए।

4) देखिए भाग 26.3 और उत्तर दीजिए।

5) देखिए उपभाग 26.3.1 और उत्तर दीजिए।

6) देखिए उपभाग 26.3.1 और उत्तर दीजिए।

7) देखिए उपभाग 26.3.1 और उत्तर दीजिए।

8) देखिए उपभाग 26.3.1 और उत्तर दीजिए।

9) देखिए उपभाग 26.3.1 और उत्तर दीजिए।

10) देखिए उपभाग 26.3.2 और उत्तर दीजिए।

11) देखिए उपभाग 26.3.2 और उत्तर दीजिए।

12) देखिए उपभाग 26.3.2 और उत्तर दीजिए।

**बोध प्रश्न 3**

1) देखिए भाग 26.4 और उत्तर दीजिए।

2) देखिए उपभाग 26.4.1 और उत्तर दीजिए।

3) देखिए उपभाग 26.4.1 और उत्तर दीजिए।

4) देखिए उपभाग 26.4.1 और उत्तर दीजिए।

5) देखिए उपभाग 26.4.1 और उत्तर दीजिए।

6) देखिए उपभाग 26.4.1 और उत्तर दीजिए।

7) देखिए उपभाग 26.4.2 और उत्तर दीजिए।

8) देखिए उपभाग 26.4.2 और उत्तर दीजिए।

9. देखिए उपभाग 26.4.2 और उत्तर दीजिए।

10) देखिए उपभाग 26.4.3 और उत्तर दीजिए।

11) देखिए उपभाग 26.4.4 और उत्तर दीजिए।